FORM-1

(for linear projects)

Government of Chhattisgarh

Office of the District Collector Dantewada

No. / 4500 /Reader/ 2017 Dantewada Dated 23 / 08/ 2017

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non –forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects it is certified that **7.116 hectare for Associated Facilities** of forest land proposed to be diverted in favor of **NMDC Limited, Bailadila Iron Ore Mine, Bacheli Complex** (name of user agency) for **NMDC's Slurry Pipeline Project (A Project Under PRAGATI)** (purpose for diversion of forest land) in **Dakshin Bastar Dantewada** district falls within the jurisdiction of **Municipal Council Bade Bacheli** in **Bade Bacheli** tehsil.

It is further certified that:

(A) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **7.116** hectares of forest area proposed for division . Acopy of record of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha/ **Ward Sabha, Municipal Council Bade Bacheli**, Sub-Division Level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ……… to annexure ……….

(B) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;

(C) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and pre-agricultural communities.

Encl:- As above

(Saurabh Kumar)
Collector
Dakshin Bastar Dantewada

कलेक्टर
दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा

D:\Reader Section\PROFARMA\Collector Certified Annxure- II.Doc

अनुविभागीय स्तर पर वन अधिकार समिति की बैठक दिनाँक 11/08/2017 को उपस्थित सदस्यों के एन.एम.डी.सी. लिमिटेड बैलाडिला लौह अयस्क खान बचेली काम्प्लेक्स को Beneficiation Plant, & Associated Facilities की स्थापना (गैर वानिकी कार्य) के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन के संबंध में बैठक का कार्यवाही विवरण :–

आज दिनाँक 11.08.2017 को अनुविभाग स्तरीय वन अधिकार समिति के सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। जिनमें अनुभाग स्तरीय वन अधिकार समिति के निम्नांकित सदस्य उपस्थित हुए :–

1. अनुविभागीय अधिकारी वन दन्तेवाड़ा/बचेली, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा।
2. सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा ।
3. श्रीमती सुखमती बघेल वार्ड क्रमांक 01 सदस्य अनुविभाग स्तरीय वन अधि. समिति नगर पालिका परिषद बचेली
4. श्री धनसिंह नाग, वार्ड क्रमांक 06 सदस्य अनुविभाग स्तरीय वन अधि. समिति नगर पालिका परिषद बचेली
5. श्री धनीराम ध्रुव वार्ड क्रमांक 09 सदस्य अनुविभाग स्तरीय वन अधि. समिति नगर पालिका परिषद बचेली

उपरोक्त सदस्यों की उपस्थिति में दन्तेवाड़ा वन मण्डल अन्तर्गत बचेली वन परिक्षेत्र के वन खण्ड क्रमांक 1843, 1844,1845, एवं 1851 में आवेदक एन.एम.डी.सी. लिमिटेड बैलाडिला लौह अयस्क खान बचेली काम्प्लेक्स के द्वारा कक्ष क्रमांक 1843, 1844, 1845, एवं 1851 में 1.Beneficiation Plant, 2. Associated Facilities की स्थापना के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु उपयोग बाबत् वार्ड महौल्ला सभा की बैठक दिनांक 22/07/17 को लिए गए निर्णय अनुसार वार्ड क्रमांक 09 नगरपालिका परिषद बचेली की बैठक में एन.एम.डी. सी. लिमिटेड बैलाडिला लौह अयस्क खान बचेली को वन भूमि में कोई भी अदिवासी गैर परम्परागत, वनवासी प्रष्नाधीन वन भूमि पर कृषि, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि सम्पादित नहीं किए जाने एवं कोई भी वन अधिकारी पट्टा (व्यक्तिगत/सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परम्परागत वनवासी को नहीं दिए जाने के फलस्वरूप वन भूमि को वन संरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत एन.एम.डी.सी. लिमिटेड बैलाडिला लौह अयस्क खान बचेली काम्प्लेक्स के पक्ष में व्यपवर्तन किए जाने से कोई आपत्ति नहीं होने बाबत् प्रस्ताव प्राप्त हुआ ।

अतः वन कक्ष क्र. 1843, 1844, 1845 एवं 1851 में 1.Beneficiation Plant (33.00 ha), 2. Associated Facilities (7.116 ha) की स्थापना एन.एम.डी.सी. लिमिटेड बैलाडिला लौह अयस्क खान बचेली काम्प्लेक्स को अन्य प्रचलित नियमों एव प्रावधान अनुसार वन भूमि का व्यपवर्तन किए जाने की अनुमति हेतु अनुविभागीय स्तरीय वन अधिकार समिति दन्तेवाडा के द्वारा अनापत्ति प्रस्ताव पारित किया जाता है।

उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर :–

1.
2.
3. सुखमती बघेल पार्षद वार्ड क्र. 01 नगर पालिका परिषद बचेली
4.
5. धनीराम ध्रुव पार्षद वार्ड क्र.09 नगर पालिका परिषद बड़े बचेली

मण्डल संयोजक आदिवासी विकास विकास खण्ड दन्तेवाड़ा

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं अध्यक्ष
अनुविभाग स्तरीय वन अधिकार समिति दन्तेवाड़ा
जिला–दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

वार्ड क्रमांक 09.........के वार्ड कमेटी /मुहल्ला सभा के बैठक दिनांक 22/7/17 का कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 22/07/17 को नगर पालिका परिषद्, बड़े बचेली के वार्ड कमांक 09...... के वार्ड कमेटी /मुहल्ला सभा की बैठक आहुत की गयी। इस बैठक में नगर पालिका के वार्ड कमांक 09.........के वार्ड कमेटी /मुहल्ला सभा के 56% सदस्य उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई :–

1. दन्तेवाड़ा वन मंडल अन्तर्गत बचेली वन परिक्षेत्र के आरक्षित वन खण्ड क्रमांक 1843, 1844, 1845 तथा 1851 में आवेदक एन.एम.डी.सी लिमिटेड, बैलाडीला लौह अयस्क खान, बचेली काम्प्लेक्स, के द्वारा Associated Facilities की स्थापना हेतु 7.116 हे. आरक्षित वन भूमि तथा लौह अयस्क प्रसंस्सीकरण संयंत्र Iron Ore Processing Plant (Slime Beneficiation Plant) की स्थापना हेतु 33.00 हे. आरक्षित वन भूमि (गैर वानिकी कार्य) के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु मांग की गई है। प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा की गयी।

2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किये जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत् वार्ड कमेटी की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।

3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिपेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि Associated Facilities एवं लौह अयस्क प्रसंस्सीकरण संयंत्र (Slime Beneficiation Plant) की स्थापना कार्य हेतु प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहे है एवं कोई भी वन अधिकार पट्टा (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तवित वन भूमि पर नहीं दिया है।

उपरोक्त वन भूमि नगर पालिका परिषद्, Ward No.9 बड़े बचेली के अन्तर्गत स्थित है। उपरोक्त वनभूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत एन.एम.डी.सी. लिमिटेड़, बैलाडीला लौह अयस्क खान, बचेली काम्प्लेक्स के पक्ष में व्यपवर्तन किये जाने से निकाय को कोई आपत्ति नहीं है। अतः यह एकमत से वार्ड कमेटी/मुहल्ला सभा में निर्णय लिया गया कि Associated Facilities हेतु 7.116 हे. वन भूमि तथा लौह अयस्क प्रसंस्सीकरण संयंत्र Iron Ore Processing Plant (Slime Beneficiation Plant) हेतु 33.00 हे. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु मेसर्स एन.एम.डी.सी. लिमिटेड, बैलाडीला लौह अयस्क खान, बचेली काम्प्लेक्स को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।